

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2026 — फाल्गुन 29, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS-11/3806/2025-REVENUE/7-1.— छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) की धारा 2 की कंडिका (क) तथा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियम, 2004 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड) के द्वारा जिला कोरबा के ग्रामों (बरीडीह एवं कटबितला) में भूमिगत जल पाईपलाइन बिछाने हेतु शासकीय एवं निजी भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है :-

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार				
(1)	(2)	(3)				
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, जिला- कोरबा	ग्राम का नाम	शासकीय भूमि		निजी भूमि	
			खसरो की संख्या	कुल रकबा (हे. में)	खसरो की संख्या	कुल रकबा (हे. में)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		बरीडीह	01	0.08	23	0.444

		कटबितला	10	1.877	68	1.821
		कुल योग	11	1.957	91	2.265

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 20th March 2026

NOTIFICATION

No. GENS-11/3806/2025-REVENUE/7-1.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Rights to Use of Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004) and rule 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Rights to Use of Land) Rules, 2004, the State Government, hereby, appoints the officer mentioned in column (2) of the Schedule given below as the Competent Authority for the area mentioned in column (3) to perform the functions of the Competent Authority under the said Act for acquisition of rights to use of Government and private land for laying of underground water pipeline in villages (Baridih and Katbitla) of District Korba by M/s Korba Power Limited (formerly M/s Lanco Amarkantak Power Limited), namely:-

SCHEDULE

No	Designation of the officer	Jurisdiction				
(1)	(2)	(3)				
1	Sub-Divisional Officer (Revenue) Korba, District Korba	Name of the Village	Government Land		Private Land	
			Number of Khasra	Total Area (in hec.)	Number of Khasra	Total Area (in hec.)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Baridih	01	0.08	23	0.444
		Katbitla	10	1.877	68	1.821
		Grand Total	11	1.957	91	2.265

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.